(71)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1046–पीबीआर/2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–7–2010 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 206/2009–10/निगरानी

.....

1–श्रीमती रामवती पत्नी मोहनसिंह पुत्री पंचमसिंह
निवासी ग्राम खरदेरा तहसील नरवर जिला शिवपुरी
2–श्रीमती ममता पत्नी श्री पुरूषोत्तम पुत्री पंचमसिंह
निवासी जतर्थी तहसील भितरवार जिला ग्वालियर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती लल्ला बेटी पत्नी भीगीराम पुत्री पंचमसिंह
निवासी ग्राम एराया हाल निवासी ग्राम चिरूली
तहसील डबरा जिला ग्वालियर

..... अनावेदक

.....

श्री एन.डी.शर्मा, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 17/11/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–07–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका द्वारा तहसील न्यायालय पिछोर डबरा में आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम चिरूली स्थित सर्वे कमांक 258 कुल किता 5 कुल रकबा 0.838 हेक्टेयर भूमि पंचमसिंह के नाम थी, जिनकी मृत्यु उपरांत वसीयत के आधार पर अनावेदिका का नामान्तरण प्रश्नाधीन भूमि पर किया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 11/2003–04/अ–6 दर्ज कर दिनांक 8–11–2004 को अनावेदिका का नामान्तरण वसीयत के आधार पर किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के

विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 19–9–2006 को अपील प्रस्तुत की गई तथा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन के साथ ही हितबद्ध पक्षकार मानने तथा अपील की अनुमति का भी आवेदन दिया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16–11–2007 को आदेश पारित कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ ही अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब को क्षमा किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई और अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 8–2–08 से निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 20–7–2010 को आदेश पारित कर निगरानी स्वीकार करते हुये अनुविभागीय अधिकारी व अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश निरस्त किये गये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा मृतक पंचमसिंह के वैध वारिस आवेदकगण को न तो पक्षकार बनाया गया और ना ही कोई सुनवाई का मौका दिया गया जबकि नामान्तरण नियम 27 में स्पष्ट उल्लेख है कि नामान्तरण में हित रखने वाले व्यक्तियों को पृथक से सूचना देना चाहिये इस प्रकार तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण नियमों का पालन न करते हुये अनावेदिका के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किया गया है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी और अपर कलेक्टर द्वारा उक्त नामान्तरण आदेश को विधि के प्रावधानों के विपरीत मानते हुये प्रकरण प्रत्यावर्तित किया था, इस कानूनी बिन्दु का न तो अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में विवेचन किया और ना ही नामान्तरण नियम 27 का पालन ना करने के संबंध में आदेश पारित किया है, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा फर्जी वसीयत नामे को आधार मानकर उसके आधार पर किये गये नामान्तरण को स्थित रखने में वैधानिक भूल की है, क्योंकि जब तक वसीयत साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के तहत सिद्ध न

की जाये तब तक वह नामान्तरण का आधार नहीं मानी जा सकती, इस बिन्दु पर भी अपर आयुक्त ने कोई विचार नहीं किया तथा वसीयत को सिद्ध मानतें हुये आदेश पारित किया है जबकि वसीयत वारिसानों के समक्ष सिद्ध होना चाहिये, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का आदेश विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उसने अपने पिता की उनके जीवनकाल में सेवा सम्भाल की है, और उसके पिता द्वारा अपने जीवनकाल में सेवा से खुश होकर समस्त चल व अचल संपत्ति की वसीयत कर दी थी, जिनकी मृत्यु के बाद वसीयत साक्षीगण से प्रमाणित होने के आधार पर तहसीलदार ने नामान्तरण किया था, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने व अपील जिसे अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के आदेश दिनांक 8–11–2004 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदिका लल्ला बेटी पंचमसिंह द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत नामान्तरण प्रकरण में आवेदक रामवती तथा ममता पुत्री पंचमसिंह को पक्षकार नहीं बनाते हुये मध्यप्रदेश शासन को प्रतिवादी बनाया गया, जबकि मृत पंचमसिंह की दो अन्य पुत्रियॉ के होने से अनावेदिका द्वारा इंकार नहीं किया गया है। मृतक पंचमसिंह की आवेदकगण पुत्रियॉ होने से आवश्यक हितग्राही पक्षकार होने से नामान्तरण प्रकरण में पक्षकार बनाकर उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना अनिवार्य था, क्योंकि संहिता की धारा 110 की उपधारा (3) एवं (4) में यह प्रावधान है कि –

"110(3) उपधारा (2) के अधीन पटवारी से प्रज्ञापना के प्राप्त होने पर, तहसीलदार उसे विहित रीति में ग्राम में प्रकाशित करवायेगा और उसकी लिखित प्रज्ञापना उन समस्त व्यक्तियों को, तथा साथ ही ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जो कि उसे नामान्तरण में हितबद्ध प्रतीत होते हों, साथ ही ऐसे अन्य व्यक्तियों एवं प्राधिकारियों को भी देगा जो कि विहित किये जाये ।"

"110(4) तहसीलदार हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवारई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसे अतिरिक्त जॉच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् क्षेत्र पुस्तक तथा अन्य सुसंगत भू–अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि करेगा ।"

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि नामान्तरण के पूर्व हितबद्ध पक्षकारर को लिखित प्रज्ञापना देना आज्ञापक है और नामान्तरण के पूर्व हितबद्ध पक्षकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाना भी अनिवार्य है । इस प्रकरण में आवेदकगण हितबद्ध पक्षकार थे, किन्तु मृतक पंचमसिंह की तथाकथित वसीयत के आधार पर नामान्तरण आदेश पारित करने के पूर्व तहसीलदार द्वारा उसे कोई सूचना नहीं दी गई और ना ही उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया और ना ही नामान्तरण प्रकरण में पक्षकार बनाया गया । नामान्तरण नियमों के नियम 27 के अनुसार भी नामान्तरण के पूर्व हितबद्ध पक्षकार पर व्यक्तिशः सूचना पत्र की तामीली एवं इश्तहार का प्रकाशन डोड़ी पिटवाकर करने का नियम है, किन्तु इस नियम का पालन भी तहसील न्यायालय द्वारा नामान्तरण के पूर्व नहीं किया गया । ऐसी दशा में तहसीलदार द्वारा पारित नामान्तरण आदेश विधि सम्मत् नहीं होने से उसे अपर आयुक्त द्वारा यथावत् रखने में भूल की गई है । यहॉ पर यह भी उल्लेखनीय है कि संहिता के आज्ञापक प्रावधानों का पालन किये बिना पारित आदेश शून्यवत् होने से ऐसे आदेश को समयावधि के आधार पर स्थिर नहीं रखा जा सकता । संहिता की धारा 47 के द्वितीय परन्तुक में यह प्रावधान है कि जिस पक्षकार के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित नहीं किया गया हो व जिसे आदेश पारित किये जाने की कोई पूर्व सूचना ना हो तो समयावधि की गणना आदेश पारित करने के दिनांक से होगी । इस प्रकरण में ना तो आवेदकगण को पक्षकार बनाया गया है और ना ही आदेश पारित करने के पूर्व और ना ही आदेश पारित करने के पश्चात् कोई सूचना दी गई है, इसलिये अपील समयावधि बाह्य होने के आधार पर खारिज नहीं की जा सकती थी, किन्तु अपर आयुक्त द्वारा इस ओर ध्यान नहीं देने में विधिक त्रुटि की गई है, इस स्थिति में भी तहसीलदार व अपर आयुक्त के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ मेरे द्वारा प्रकरण के गुणदोषों पर भी विचार किया गया । अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में यह अंकित किया है कि वसीयत सादे कागज पर हस्तलिखित है, जिसे किस व्यक्ति द्वारा लिखा गया है, न तो किसी गवाह ने उसका नाम अपने कथन में बताया है और ना ही वसीयत पर लिखने वाले के हस्ताक्षर हैं, वसीयत पर जिन गवाहों के हस्ताक्षर किये गये हैं, उनका भी पता अंकित नहीं किया गया है, इतना ही नहीं लल्ला बेटी के हस्ताक्षर तहसील की नोटशीट पर होते हुये भी उसके बयान लेखबद्ध नहीं कराये गये है, जबकि लल्ला बेटी द्वारा ही वसीयत के आधार पर नामान्तरण की मॉग की गई थी । नामान्तरण नियमों के नियम 32 के अनुसार राजस्व पदाधिकारियों द्वारा नामान्तरण की कार्यवाही स्वत्व के संबंध में संक्षिप्त जॉच के बाद की जाती है । प्रकरण में प्रथमदृष्टया वसीयत संदेहास्पद प्रतीत होती है । अतः यह आवश्यक था कि सभी वारिसों को सुना जाता, लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा आवेदकगण जो कि विधिक वारिस हैं, को कोई सूचना नहीं दी गई । स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने अपील समय सीमा में मान्य करने में कोई त्रुटि नहीं की है । अपर कलेक्टर ने भी इसकी पुष्टि की है । अपर आयुक्त ने उक्त तथ्यों की अनदेखी की है, अतः उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–07–2010 निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–11–2007 तथा अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–02–2008 यथावत् रखे जाते हैं। परिणामस्वरूप निगरानी स्वीकार की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर